

A. {रा.खा.सु.का.की धारा 5-1 (क)} के अनुसार 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाला पोषाहार।

वर्ग	खाना का प्रकार/ क्या मिलेगा?	कैलोरी की मात्रा	प्रोटीन की मात्रा
6 से 36 माह तक के बच्चे	THR (घर ले जाने वाला राशन)	500	12-15
3 से 6 साल तक के बच्चे	सुबह का नाश्ता एवं दोपहर को गर्भ पका-पकाया भोजन मेनू के अनुसार - सप्ताह में 3 दिन अंडा सहित।	500	12-15
6 माह से 6 साल तक के कुपोषित/अति कुपोषित बच्चे।	THR के साथ कुल 800 किलो कैलोरी ऊजा का पूरक खाद्यान्न कुल 20-25 ग्रा. प्रोटीन के साथ।	800	20-25

B. {रा.खा.सु.का.की धारा 4(क)- अनुसूची - 2} के अनुसार गर्भवती महिला एवं धात्री माता को आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाला अतिरिक्त पोषाहार (बच्चे के जन्म के बाद 6 माह तक)

क्या मिलेगा ?	ऊर्जा की मात्रा	प्रोटीन की मात्रा
गर्भ पका-पकाया भोजन अथवा अधिनियम के अनुसार आंगनबाड़ी से मिलने वाली सेवाओं के लिए तय घर ले जाने वाला राशन	600 किलो कैलोरी	18-20